



सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय
AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
देवनहल्ली, बंगलूर /DEVANAHALLI BENGALURU- 560300.

लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE NO.45/2020-दिनांक /DATED:19.08.2020

दस्तारवेज पहचान सं /DIN: 20200872MP00002G566B

विषय:आगम बिल एवं लदान बिल में यूक्यू.सी.एस को व्यवस्थिकरण के संबंध में
Subject: - Streamlining of UQCs in Bills of Entry and Shipping Bills - Reg.

सभी कोरियर कंपनियों , संरक्षकों, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता एवं अन्य सभी फणधारियों का ध्यान आगम बिल एवं लदान बिल में यूनिट क्वान्टिटि कोड संबंधी घोषणा के संबंध में विद्यमान प्रक्रियाओं की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of the Courier Companies, Custodians, Importers, Exporters and all other Stakeholders is invited to the existing procedure regarding declaration of Unit Quantity Codes (UQCs) in the Bills of Entry and Shipping Bills.

2. वर्तमान प्रक्रियाओं संबंधी वर्तमान कार्यप्रणाली को ई .डि.आई में निर्यात/आयात के घोषणों को दायर करने के प्रयोजनों के लिए मानकीकरण करने की उद्देश्य से प्रयास शुरु किया है । यह पता लगाया गया कि कई निर्यात कर्ता /आयात कर्ता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम या समान्य व्यापार व्यवहार में प्रयोग में न होनेवाले, बी.जी.एस , बी.टी.एल, बी.ओ.एक्स, सी.टी.एन, जी.जी.आर, एच.पी.टी, के.पी.सी, ओ.डी.डी और डी.आर.एम आदि जैसे यू.कि.सी को उपयोग करते हैं । ये गैर परिवर्तनीय //अनुचित यूक्यूसी के कारण कम गुणवत्ता डाटा कैप्टरिंग एवं संबंधित कार्यप्रणाली को पैदा देत है ।

In order to streamline the present practice the Board had undertaken an exercise towards standardization of Unit Quantity Codes (UQCs) for purposes of export / import declarations filed on EDI. It was noted that many importers and exporters use UQCs like BGS, BTL, BOX, CTN, GGR, HPT, KPC, ODD and DRM etc. which are neither stipulated in the Customs Tariff Act nor prevalent in the normal business transactions. These nonconvertible/inappropriate UQCs lead to poor quality of data capture and related implications.

3. पहले उपाय के रूप में, आयात (फरवरी 2019 से) एवं निर्यात (फरवरी 2020 से) बीज़क में घोषित वाणिज्य यूनिटों के अलावा , टैरिफ अधिनियम के अधीन निर्धारित अनुसार के अनुसार सांख्यिकी यूक्यूसी में बजनों को धोषणा करना अनविर्य है । ये एस.क्यूसी घोषणों लदान बिल एवं आगम बिल के एक विंडो में कैपचर किया जा रहा है ।

As a first measure, declaration of quantities in Statistical UQCs (SQCs) as prescribed under the Tariff Act have been made mandatory in both imports (since Feb 2019) and exports (since Feb 2020) for every item in addition to the quantities declared in the commercial units as per the invoice. The SQC declarations are being captured in the Single Window table of the Bills of Entry and Shipping Bills.

4. डाटा की मानकतो को और उन्नयन करने की उद्देश्य से , बीड़क में वस्तुओं के संबंध में घोषित वाणिज्य यूक्यूसी के लिए भी आगे से , नीचे दिये गए ब्यौरा में अंकित कोड के लिए आगम बिल एवं लदान बिल के लिए अनुमति दी जाएगी । किसी भी अन्य प्रकार के यूक्यूसी के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

In order to further improve data quality, even among the commercial UQCs declared for the items as per the invoice, henceforth only codes as mentioned in the table below would be permitted in BEs/SBs. Declarations in any other UQC will not be accepted.

ब्यौरा/TABLE

यूक्यूसी/UQC	विवरण/Description
CBM	CUBIC METER
CCM	CUBIC CENTIMETER
CMS	CENTIMETER
CTM	CARAT
DOZ	DOZEN
FTS	FEET
GIF	GRM FISSILE ISOTOPE
GMS	GRAMS
GRS	GROSS
GXD	GROSS YARDS
HKS	HANKS
INC	INCHES
KGA	KILOGRAM ACTIVITY
KGS	Kilograms
KLR	KILOLITER
KWH	KILO WATT HOUR
LBS	POUNDS
LTR	LITERS
MGS	MILLI GRAMS
MTR	METER
MTS	METRIC TON
NOS	NUMBERS
PCS	Pieces
PRS	PAIRS
QTL	QUINTAL
SET	SETS
SQF	SQUARE FEET
SQI	SQUARE INCHES
SQM	SQUARE METER
SQY	SQUARE YARDS
TBS	TABLETS
THD	THOUSANDS
TKW	THOUSAND KILO WATT HOUR
UNT	UNITS
VLS	Vials
YDS	YARDS

5. उपर्युक्त संशोधन दिनांक 20.8.2020 से लागू होगी/ The above changes will come into effect from 20.08.2020.

6. इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों पर ली जानेवाली कार्रवाई अधिकारियों के लिए स्थायी आदेश के रूप में विचार किया जाना चाहिए ।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

7. उपर्युक्त सभी संबंधित को सूचित किया जाता है । इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो उसको अपर आयुक्त , सीमा शुल्क, एयर पोर्ट एवं एसीसी, आयुक्तालय, देवनहल्ली, बेंगलूरु, ई मेल पता cusaccblr.tech@gov.in. में सूचित कर सकते हैं ।

The above is brought to the notice of all the concerned. Difficulties, if any, may be brought to the notice of The Additional Commissioner of Customs, Air Port and Air Cargo Complex Commissionerate, Devanahalli, Bengaluru, Email ID: cusaccblr.tech@gov.in.

अशोक

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ **PRINCIPAL COMMISSIONER**

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है/ Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

- 1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
- 2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
- 3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगठन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक,
बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
- 4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा /All Airlines through Association.
- 5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरगनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल,
वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO), 1st Floor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru

- 6) सभी संरक्षकों / All Custodians.
- 7) बंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट / Bengaluru Customs Website
- 8) सूचनापट्ट / Notice Board.
- 9) बंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेंसी / All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियर संगठन द्वारा / through Courier Association
- 10) मास्टरफाइल / Master file.